

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(8)2024-25 / विकास / प्रमुखसं / 3091

दिनांक 05/06/2024

## कार्यालय आदेश

राज्य योजना के अन्तर्गत जूलीफलोरा उन्मूलन योजना में मुख्य वन संरक्षकगणों से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट मद 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, 15-जूलीफलोरा उन्मूलन एवं स्थानीय प्रजाति के वनों का पुर्नवृक्षारोपण, 01- वनारोपण, 63-वृक्षारोपण में वर्ष 2024-25 हेतु राशि रूपये 350.00 लाख का बजट आवंटन निम्नानुसार किया जाता है।

क. सं.	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	आवंटित राशि (रू.लाखों में)
1	मुख्य वन संरक्षक कोटा	उप वन संरक्षक, बून्दी	10.00
		उप वन संरक्षक, कोटा	10.00
2	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाध परियोजना, सवाईमाधोपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, धोलपुर	10.00
		उप वन संरक्षक, केएनपी भरतपुर	15.00
		उप वन संरक्षक, आर.टी.आर. प्रथम, सवाईमाधोपुर	25.00
3	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	उप वन संरक्षक, करौली	5.00
		उप वन संरक्षक, भरतपुर	5.00
		उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर	5.00
		उप वन संरक्षक, धौलपुर	5.00
4	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	उप वन संरक्षक, सिरोही	15.00
		उप वन संरक्षक, IGNP, जैसलमेर	5.00
		उप वन संरक्षक, पाली	10.00
		उप वन संरक्षक, बाडमेर	10.00
		उप वन संरक्षक, जोधपुर	10.00
		उप वन संरक्षक, जालोर	10.00
5	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द	15.00
6	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाध परियोजना, अलवर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर	15.00
7	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	उप वन संरक्षक, जयपुर	5.00
		उप वन संरक्षक, सीकर	5.00
		उप वन संरक्षक, दौसा	2.00
8	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	उप वन संरक्षक, उदयपुर(उत्तर)	5.00
		उप वन संरक्षक, उदयपुर	5.00
		उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़	5.00
		उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	5.00
		उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	5.00

क्र. सं.	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	आवंटित राशि (रू.लाखों में)
9	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	18.00
		उप वन संरक्षक, टोक	10.00
		उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा	10.00
10	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर	10.00
11	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर	35.00
12	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा	उप वन संरक्षक, MNP, कोटा	25.00
		उप वन संरक्षक, RVTR, बूंदी	25.00
		योग:-	350.00

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये -

1. उक्त आवंटन में यदि में बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें। जिस जगह विकास कार्य कियान्वित किया जाना है उसका माइकोप्लान भी सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
4. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि आवंटित राशि का उपयोग करते समय एक योजना के कार्यों का अन्य योजनाओं के साथ ओवरलेपिंग न हो। मुख्य वन संरक्षकगण इसे व्यक्तिशः सुनिश्चित करें।
7. चूंकि सभी मुख्य वन संरक्षकगण विभागाध्यक्ष हैं अतः योजनाओं का प्रबोधन (monitoring) अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करे।

8. वित्त(आय-व्ययक) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक F.4(1)FD-I(1)BUGET/2021 दिनांक 30.03.2021 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही / स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
9. कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति मासिक रूप से प्रस्तुत की जावे।
10. वन विकास कार्यों को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(अनुष्ठा भारद्वाज)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(8)2024-25 / विकास / प्रमुखसं / 3092-3110 दिनांक 05/06/2024  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / भरतपुर / कोटा / अजमेर / उदयपुर / जोधपुर / वन्यजीव, उदयपुर / वन्यजीव, जोधपुर / वन्यजीव, जयपुर / वन्यजीव, कोटा।
3. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाध परियोजना, सवाईमाधोपुर / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाध परियोजना, अलवर।
4. वित्तीय सलाहकार वन विभाग, जयपुर
5. संबंधित उप वन संरक्षक.....।
6. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा) / संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग) / कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु) / रक्षी पत्रावली

(सेदूराम यादव)

मुख्य वन संरक्षक(आयोजना)  
राजस्थान, जयपुर